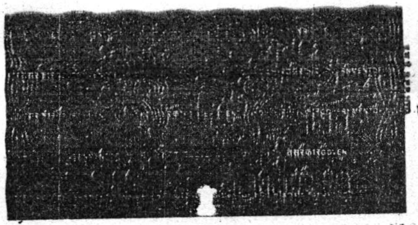

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

P 1510-PBR-17 (89)

प्र.कं /2017 पुनरीक्षण

1. रामवरन पुत्र हरीराम गूजर
2. मुस. शांति बेबा हरीराम गूजर

निवासीगण ग्राम नैनागिर पाही तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.)

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 26-5-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर

.... अनावेदक

मुकेश भार्गव
26-5-17 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्यू/रीडर/नजूल/2017/942 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1510–पीबीआर/17 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–6–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 19–1–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर कलेक्टर ने कलेक्टर को आदेश में उल्लिखित शासकीय भूमियों के सम्बंध में कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	